जीवन रक्षा पदक पुरस्कार

अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार श्रृंखला की शाखा, जीवन रक्षा पदक पुरस्कार श्रंखला व-र्ा 1961में शुरु की गई थी।

2. जैसा कि पुरस्कार के नाम से स्प-ट है, यह पुरस्कार किसी व्यक्ति को किसी की जान बचाने के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार पानी में डूबने, दुर्घटनाओं, आग लगने की घटनाओं, विद्युत-करंट लगने, प्राकृतिक आपदाओं, खानों में बचाव अभियान आदि जैसे मामलों में किसी व्यक्ति की जान बचाने में मानवीय प्रकृति के सराहनीय कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। यह निम्नलिखित तीन श्रेणियों में प्रदान किया जाता हैः-

(i) **सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक** - उस स्थिति में प्रदान किया जाता है जब जान बचाने वाले व्यक्ति ने अपनी जान को अत्यधिक खतरनाक परिस्थितियों में डालकर जान बचाने में अदम्य साहस का प्रदर्शन किया हो ।

(ii) **उत्तम जीवन रक्षा पदक** - उस स्थिति में प्रदान किया जाता है जब जान बचाने वाले व्यक्ति ने अपनी जान को खतरनाक परिस्थितियों में डालकर जान बचाने में साहस और तत्परता का प्रदर्शन किया हो ।

(iii) **जीवन रक्षा पदक** - उस स्थिति में प्रदान किया जाता है जब जान बचाने वाले व्यक्ति ने उन परिस्थितियों में जान बचाने में साहस और तत्परता का प्रदर्शन किया हो जिनमें उसे गंभीर शारीरिक चोटें पहुंची हों ।

3. जीवन के किसी भी क्षेत्र के स्त्री और पुरु-ा इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। ये पुरस्कार मरणोपरान्त भी प्रदान किये जा सकते हैं।

4. प्रति व-र्ा सभी राज्य सरकारों / संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों और भारत सरकार के मंत्रालयों / विभागों से इन पुरस्कारों के लिए नामंकन आमंत्रित करना एक सामान्य प्रक्रिया है। प्राप्त सिफारिशों पर जीवन रक्षा पदक पुरस्कार समिती द्वारा विचार किया जाता है।

5. पुरस्कार समिती जीवन रक्षक कार्य करने की तारीख से दो कैलेण्डर व-र्ाों की अवधि के भीतर पुरस्कार के लिए प्राप्त सिफारिशों पर विचार करती है।

6. पुरस्कार समिती अपनी सिफारिशें प्रधानमंत्री एवं रा-ट्रपति को प्रस्तुत करती है ।

7. इस पुरस्कार में एक पदक (मैडल) और केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है। ये अलंकरण उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार अथवा संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा प्रदान किए जाते हैं जिससे पुरस्कार विजेता संबंधित है। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को मुख्य पदक की एक लघु आकार की प्रतिकृति भी प्रदान की जाती है। यदि पुरस्कार मरणोपरान्त प्रदान किया जाता है तो प्रतिकृति प्रदान नहीं की जाती है।

8. पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को निम्नलिखित दरों पर एकमुश्त मौद्रिक भत्ता प्रदान किया जाता है:-

क)	सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक	2,00,000/- रुपये
ख)	उत्तम जीवन रक्षा पदक	1,50,000/- रुपये
ग)	जीवन रक्षा पदक	1,00,000/- रुपये

9. एकमुश्त मौद्रिक भत्ते के अतिरिक्त सरकार द्वारा रेल, हवाई यात्रा के किराये आदि में रियायत के रुप में अन्य कोई सुविधा/लाभ प्रदान नहीं किया जाता।

10. मौजूदा पद्धति, प्रक्रिया और इस पुरस्कार को विनियमित करने वाले दिशा-निर्देशों के अनुसार, पुरस्कार समिती द्वारा एक बार विचार किए गए तथा उपयुक्त नहीं पाए गए मामलों को पुनर्विचार के लिए इसके समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता है।